[2018] 2 एससीआर 1005

कुदरत संधू

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 279 वर्ष 2017)

22 फरवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, माननीय मुख्य न्यायाधीश, ए.एम. खानविलकर और डॉ डी वाई चंद्रचूड़, माननीय न्यायाधीशगण]

न्यायाधिकरण - अध्यक्ष/न्यायिक/प्रशासनिक/विशेषज्ञ/तकनीकी सदस्य - का चयन - योजित सुझावों पर विचार करने के बाद, संशोधनों के साथ, उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 फरवरी 2018 को सभी न्यायाधिकरणों में चयन को नियंत्रित करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में पारित आदेश - हालांकि, चूँकि कुछ खोज-सह-चयन समितियों (एससीएससी) ने उक्त अंतरिम आदेश से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था, यह मामला आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ को समितियों द्वारा चयन प्रक्रिया की स्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था - 19 न्यायाधिकरणों के संबंध में चयन प्रक्रिया की स्थिति को दर्शाते हुए भारत संघ द्वारा प्रस्तुत सारणीबद्ध चार्ट - उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्लेषित चयनों के संबंध में न्यायाधिकरण-वार स्थिति और प्रत्येक न्यायाधिकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए - न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017.

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका (सिविल) संख्या 279 वर्ष 2017

के साथ

रिट याचिका (प्रकीर्ण) संख्या 558, 561, 640, 1016, 788-, 925-, 1098- और 1129- वर्ष 2017, रिट याचिका (प्रकीर्ण) संख्या 33 वर्ष 2018

याचिकाकर्ता के लिए अरविंद पी दातार, सीए सुंदरम, मोहन पारासरन, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मनीषा धीर, करण बतुरा, सुश्री अनुश्री प्रशांत कपाड़िया, सुश्री प्रियंका राठी, सुश्री रुचिरा गोयल, विक्रमादित्य, अरुण मोंगा, सुश्री दिव्या शर्मा, सुश्री मयूरी रघुवंशी, निखिल स्वामी, वी. के. वर्मा, निखिल नैय्यर, रूपेश कुमार, आनंद वर्मा, के कृष्ण कुमार, अन्नम डीएन राव अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए केके वेणुगोपाल, एजी, एसएस शमशेरी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, रुक्मिणी बोबडे, कुमार शशांक, मुकेश कुमार मारोरिया, ज़ोहेब हुसैन, अशोक माथुर, श्रीमती अनिल कटियार अधिवक्तागण।

न्यायालय का आदेश दिया गया:

<u>आदेश</u>

1. 9 फरवरी 2018 को, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सुझावों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। सुझाव इस प्रकार हैं:

> "1. अध्यक्ष/न्यायिक सदस्यों और प्रशासनिक सदस्यों के संबंध में अधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 की अनुसूची के कॉलम 4 में निर्धारित खोज-सह-चयन समिति की संरचना पर रोक लगाना। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्यों के संबंध में इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम खोज-सह-चयन समिति गठित करने का एक और निदेश निम्नानुसार है:
> क. भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित - अध्यक्ष
> ख. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष - सदस्य
> ग. भारत सरकार द्वारा नामित दो सचिव - सदस्य
> 2. अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकन द्वारा की जाएगी।
> 3. न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 की अनुसूची के कॉलम 5 में निर्धारित 3 वर्ष की पद की शर्तों पर रोक लगाएं। उपर्युक्त अंतरिम खोज-सह-चयन समिति द्वारा सभी चयनितों के कार्यकाल और इसके परिणामस्वरूप नियुक्तियों को 5 वर्ष निर्धारित करने का एक और निर्देश।
> 4. अंतरिम खोज-सह-चयन समिति द्वारा किए गए चयन के अनुसरण में की जाने वाली सभी नियुक्तियां उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू सेवा की शर्तों के साथ होंगी।
> 5. इस आशय का एक और निर्देश कि उपर्युक्त अंतरिम चयन समिति द्वारा किए गए सभी चयन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू सेवा की शर्तों के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष/न्यायिक/प्रशासनिक सदस्यों के रूप में सभी चयनितों की परिणामी नियुक्ति रिट याचिका के अंतिम परिणाम से प्रभावित नहीं होगी।"

2. विद्वान अटॉर्नी जनरल को उपरोक्त सुझावों को छोड़कर सभी न्यायाधिकरणों के चयन को नियंत्रित करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अपनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि उपरोक्त दो सुझावों को निम्नानुसार फिर से तैयार किया जा सकता है:

> "4, अंतरिम खोज-सह-चयन समिति द्वारा किए गए चयन के अनुसरण में की जाने वाली सभी नियुक्तियां पुराने अधिनियमों और नियमों के अनुसार सेवा की शर्तों का पालन करेंगी।
>
> 5. इस आशय का एक और निर्देश कि उपर्युक्त अंतरिम चयन समिति द्वारा किए गए सभी चयन और अध्यक्ष/न्यायिक/प्रशासनिक सदस्यों के रूप में सभी चयनितों की परिणामी नियुक्ति उस अवधि के लिए होगी जैसा कि पुराने अधिनियमों और नियमों में प्रावधान किया गया है।"

3. न्यायालय ने सुझावों को उन संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया जो अटॉर्नी जनरल द्वारा वांछित थे। प्रवर्तनशील निर्देश इस प्रकार है:

"उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए हम सुझावों को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि इसे सभी न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और न्यायिक/प्रशासनिक/तकनीकी/विशेषज्ञ सदस्यों के चयन पर लागू किया जाए।"

4. चूंकि कुछ खोज-सह-चयन समितियां (एससीएससी) उपरोक्त आदेश से पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी हैं, इसलिए मामले को 12 फरवरी 2018 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

"चूंकि कुछ समितियां आगे बढ़ चुकी थीं, इसलिए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। हमने पक्षों के अधिवक्तागणों को सुना है। भारत संघ के अटॉर्नी जनरल की सहायता करने वाले अधिवक्ता श्री रोहित भट 13.02.2018 तक समितियों द्वारा चयन प्रक्रिया की स्थिति दर्ज करेंगे।

श्री अरविंद दातार, श्री सीए सुंदरम और श्री मोहन परासरन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से एक संयुक्त ज्ञापन दायर करेंगे जिसके संबंध में न्यायाधिकरण आच्छादित किए गए हैं और आच्छादित नहीं किए गए हैं। इसे 13.02.2018 को सुबह 10.30 बजे तक दायर किया जाएगा। आदेश सुरक्षित."

5. अटॉर्नी जनरल ने 12 फरवरी 2018 को हुई कार्यवाही के अनुसरण में 19 न्यायाधिकरणों के संबंध में चयन प्रक्रिया की स्थिति को दर्शाते हुए एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत किया है। लिखित नोट श्री विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री विजय कुमार वर्मा, अधिवक्ता (2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 279 और साथी मामलों और 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 640 में क्रमशः पेश हुए) द्वारा योजित किए गए हैं।

6. अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत सारणीबद्ध चार्ट 19 न्यायाधिकरणों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित विवरणों को इंगित करता है:

(i) क्या एससीएससी का गठन किया गया है;

(ii) क्या न्यायिक और/या तकनीकी (या विशेषज्ञ) सदस्यों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं;

(iii) क्या आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(iv) क्या शॉर्टलिस्टिंग या, जैसा भी मामला हो, साक्षात्कार आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है; और

(v) क्या नियुक्तियां की गई हैं। श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री वर्मा, अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों से संकेत मिलता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए चयन प्रक्रिया में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और यह वांछनीय है कि नियुक्तियां तेजी से की जाएं।

7. अब हम न्यायाधिकरण-वार चयन के संबंध में स्थिति का विश्लेषण करेंगे।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

हमें इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के संबंध में, एससीएससी के निर्देशों के तहत जारी विज्ञापनों के अनुसरण में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। साक्षात्कार आयोजित

किए गए हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने न्यायिक सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपर्युक्त स्थिति इंगित करती है कि चयन की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं कि सीईएसटीएटी के संबंध में चयन प्रक्रिया पूरी हो सकती है और 9 फरवरी 2018 के इस न्यायालय के आदेश से प्रभावित नहीं होगी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण व ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण

8. ऋण वसूली न्यायाधिकरण के लिए, विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत चार्ट इंगित करता है कि चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। यह स्थिति होने के कारण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के संबंध में चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में भी, चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसलिए इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

9. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संबंध में, विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत चार्ट इंगित करता है कि एससीएससी के गठन के बाद, रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था और न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों दोनों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। एससीएससी द्वारा न्यायिक सदस्यों के लिए दो बैठकें आयोजित की गई हैं; अल्पसूचित मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया और 67 उम्मीदवारों को अल्पसूचित किया गया है। उपरोक्त स्थिति में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया 9 फरवरी, 2018 के पिछले निर्देशों द्वारा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। चूंकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्तियों के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए 9 फरवरी 2018 के आदेश में निहित निर्देश लागू होंगे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण

10. जहां तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का संबंध है, विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत चार्ट इंगित करता है कि मौजूदा चयन समिति की संरचना वही है जो नए नियमों में प्रदान की गई है। आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे और एससीएससी को 141 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए चयन प्रक्रिया जारी रहेगी और 9 फरवरी 2018 के अंतरिम निर्देशों से प्रभावित नहीं होगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

11. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियम 4 के संदर्भ में एक सिफारिश की जानी है, जिसे मद संख्या 10 के साथ पढ़ा जाता है। संबंधित नियमों के क्रम संख्या 16 के मद संख्या 4 का क।

12. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के लिए, एससीएससी ने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। एससीएससी द्वारा फरवरी 2018 में सिफारिशें की गई हैं। चयन प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। यह 9 फरवरी 2018 के निर्देशों से प्रभावित हुए बिना अपने तार्किक निष्कर्ष पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट

किया जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के नामांकन द्वारा की जानी है।

अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण

13. अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से केंद्र सरकार द्वारा एक नामांकन प्राप्त किया गया था। हालांकि, नियुक्ति होने से पहले, नामांकित उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक नया नामांकन किया जाना है।

14. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उपाध्यक्ष के चयन के लिए खोज और चयन समिति के अध्यक्ष ने सिफारिशें की हैं।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण

15. एससीएससी के अध्यक्ष को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए नामित किया गया है। समिति ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और पात्र व्यक्तियों की इच्छा का पता लगा रही है। समिति का कार्य 9 फरवरी 2018 के आदेश द्वारा निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है।

16. कुछ अन्य न्यायाधिकरणों के मामले में, अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत चार्ट नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों	वर्तमान रिक्तियां	क्या नए नियम के अनुसार एससीएससी का गठन किया गया है, यदि हाँ तो इसका संयोजन	चयन प्रक्रिया की स्थिति	प्राप्त सम्पूर्ण आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार सम्पन्न	चयनित/ अंतिम रूप से नियुक्ति
1	सफेमा अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण	सदस्य हेतु 1 रिक्ति	एससीएससी गठित	11.10.2017 को विज्ञापित	12 आवेदन पत्र प्राप्त	लागू नहीं	लागू नहीं

2	रेलवे दावा न्यायाधिकरण	02 रिक्तियां तकनीकी सह-अध्यक्ष हेतु	एससीएससी गठित	वीसी/तकनीकी-रिक्ति सूचना प्रसारित करने के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तकनीकी सदस्य- 1 पद के लिए दिनांक 7.02.2018 को बैठक आयोजित की गई आईबी क्लियरेन्स लिया गया रिक्ति का संचलन सूचना प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण	शून्य	एससीएससी अभी तक गठित नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विमानपत्तन अपीलीय न्यायाधिकरण	अध्यक्ष हेतु 1 रिक्ति	एससीएससी गठित	रिक्ति संचलन जारी	17	साक्षात्कार नहीं किया गया	लागू नहीं
5	दूरसंचार विवाद निस्तारण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण	एक रिक्ति सदस्य के सम्बन्ध में 12.5.2018 को होगा	एससीएससी गठित	एक से दो दिवस में 12.5.2018 को होने वाली रिक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन जारी किया जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय परिषद	01 रिक्ति सह-अध्यक्ष हेतु 01 रिक्ति तकनीकी सदस्य हेतु (व्यापार चिन्ह)	एससीएससी अभी तक गठित नहीं	रिक्तियां नवंबर 2017 में विज्ञापित होंगी	09 प्रार्थनापत्र सह-अध्यक्ष हेतु प्राप्त 14 प्रार्थनापत्र तकनीकी सदस्य (व्यापार चिन्ह) हेतु प्राप्त	नहीं	नहीं

		01 रिक्ति तकनीकी सदस्य हेतु (पेटेंट) एवं 02 रिक्ति तकनीकी सदस्य हेतु (कॉपी राइट)			17 प्रार्थनापत्र तकनीकी सदस्य (पेटेंट) हेतु प्राप्त 15 प्रार्थनापत्र तकनीकी सदस्य (कॉपी राइट) हेतु प्राप्त		
7	फिल्म प्रामाणन अपीलीय न्यायाधिकरण	02 रिक्ति सदस्य हेतु 30.12.2017 से लागू	एससीएससी अभी तक गठित नहीं यद्यपि गठन की प्रक्रिया चालू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	सशस्त्र बल न्यायाधिकरण	8 प्रशासनिक सदस्य 8 न्यायाइक सदस्य	उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के लिए पुराने नियमों के तहत चयन समिति और नए नियमों के तहत एससीएससी की संरचना समान है, इसलिए पिछली चयन समिति जारी रहेगी	विज्ञापन 20.07.2017 को जारी (6 प्रशासनिक सदस्यों हेतु) विज्ञापन 08.08.2017 को जारी 1 न्यायिक सदस्य हेतु विज्ञापन 26.11.2017 को जारी 7 न्यायिक सदस्य व 2 प्रशासनिक सदस्यों हेतु	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	अध्यक्ष-01 न्यायिक सदस्य -05 विशेषज्ञ सदस्य-07 टिप्पणी- उक्त रिक्तियों के अतिरिक्त न्यायमूर्ति एम.एस. नाम्बियार, सदस्य न्यायिक 2.01.2018	एससीएससी गठित	प्रक्रिया प्रारंभ विज्ञप्ति दिनाँक- 29.08.2017	83 आवेदन न्यायिक सदस्य हेतु प्राप्त एवं 169 आवेदन विशेषज्ञ सदस्य हेतु प्राप्त	दिनाँक प्रतीक्षित	लागू नहीं

		को सेवानिवृत्त हो गए श्री एस.बी. साजवान सदस्य विशेषज्ञ 9.12.2017 को सेवानिवृत्त हो गए					
10	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सह-अध्यक्ष 6 रिक्तियां	अध्यक्ष- 01	एससीएससी अभी तक गठित नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं
			एससीएससी अभी तक गठित नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के लिए, पुराने नियमों के तहत चयन समिति और उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और प्रशासनिक सदस्यों के लिए नए नियमों के तहत एससीएससी की संरचना समान है। सिफारिशें की गई हैं। इसलिए चयन एएफटी (ऊपर क्रम संख्या 8) के लिए आगे बढ़ सकता है।

17. जहां तक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के अध्यक्ष के चयन का संबंध है, एक सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। इसलिए, चयन प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। उपरोक्त चार्ट (क्रम संख्या 8 के अलावा) में बाकी न्यायाधिकरणों के लिए एससीएससी 9 फरवरी 2018 के अंतरिम निर्देशों द्वारा शासित होगा।

18. उन सभी मामलों में जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए एससीएससी के अध्यक्ष को नामित किया है और समिति ने एक बैठक आयोजित करके अपना काम शुरू कर दिया है, यह प्रक्रिया जारी किए गए विज्ञापन में उल्लिखित नियमों और शर्तों और पात्रता के आधार पर जारी रहेगी या, जैसा भी मामला हो, एससीएससी के निर्देशों पर रुचि की अभिव्यक्ति का पता लगाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

19. अध्यक्ष और/या सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऊपर उल्लिखित किसी भी एससीएससी द्वारा की गई या की जाने वाली सभी सिफारिशों पर 9 फरवरी 2018 के आदेश से प्रभावित हुए बिना आगे कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश जारी किए गए।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय